# (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—चार में प्रकाशनार्थ ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (शहरी विकास विभाग) नौंवा तल, सी—विंग, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०इस्टेट, नई दिल्ली।

सं0फा० 16(214) / श०वि० / डब्ल्यू / 2009 / | 2 3


दिनांकः 14 02 2012

# अधिसूचना

संग्रफाठ 16(214) / शाठविठ / डब्ल्यू / 2009 / .— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 के खंड (एम) के अधीन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए गए निम्निलिखित भर्ती विनियम जो दिल्ली जल बोर्ड में सहायक आयुक्त (जल) / सहायक आयुक्त (भूमि एवं संपदा) / उप—निदेशक राजस्व (जल) के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति, पदोन्नित तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित, उन्हें एतदद्वारा निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता हैं, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (1) इन विनियमों को सहायक आयुक्त (जल)/सहायक आयुक्त (भूमि एवं संपदा)/उप—निदेशक राजस्व (जल) के पद के लिये भर्ती विनियम दिल्ली जल बोर्ड, 2012 कहा जाए।
- (ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि:— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
  - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
  - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।



- 5. नियमित सेवा :— किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है ग्रेड में सेवा की अविध या अविधयां जो कि उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् दी गई है तथा इसमें वह अविध या अविधयां भी सम्मिलित होगी जिसके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड ड्यूटी पदधारित है लेकिन उसके अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा की स्थिति में ऐसे पद को धारण करने के लिए अविध उपलब्ध नहीं होगी।
- 6. शिथिल करने की शक्ति :--जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 7. बचाव:— इन विनियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तिों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 8. निरसनः— दिनांक 12.11.1987 की दिल्ली प्रशासन अधिसूचना संख्या 09/11/87—एलएसजी/6933 को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से रद्द समझा जायेगा।

( एस. एस. राठौर ) विशेष सचिव (शहरी विकास) दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "सहायक आयुक्त (जल)/सहायक आयुक्त (भूमि एवं संपदा)/उप-निदेशक राजस्व (जल)" के पद के भर्ती नियम :--

	T. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1	T:	
1.	पदनाम	1	सहायक आयुक्त (जल)/सहायक आयुक्त (भूमि एवं संपदा)/उप—निदेशक राजस्व (जल)
2.	पदों की संख्या	:	13 * (2009) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'क'
4.	वेतनमान	:	15.600-39,100/- रुपये ग्रेड पे 6600/-रुपये
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	क्या के० सि० से० (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अर्न्तगत जोड़े गये सेवा वर्षो का लाभ ग्राहय है	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍ	:	लागू नहीं
9.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नैंहीं
10.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	पदोन्नित वालों के लिये दो वर्ष
11.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति , जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा मर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नितः :- ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सिहत 4800/-रुपये के ग्रेड पे में 9300-34,800/-रुपये के वेतनमान में पे बैंड-2 में प्रशासनिक अधिकारी/जोनल राजस्व अधिकारी जिसमें 5400/-रुपये के ग्रेड पे सिहत 9300-34,800/-रुपये के पे बैंड-2 में गैर कार्यरत वेतनमान (यदि कोई हो) सम्मिलित ळें
			टीप:— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय है। उनके विरष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
2			टीप:— पदोन्नित के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रंड पे/वेतनमान में



			की गई सेवा मान ली जाएगी।
			प्रतिनियुक्ति
			केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंघान संस्थाओं/ अर्द्ध शासकीय/सांविधिक संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी
			(क) (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी; या
			(ii) 5400/-रुपये के ग्रेड पे सहित 9300-34,800/-रुपये के वेतनमान में पे बैंड-2 में पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दिये गये ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; या
			(iii) 4800 / – रुपये के ग्रेड पे सहित 9300 – 34,800 / – रुपये के वेतनमान में पे बैंड – 2 में पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दिये गये ग्रेड में छह वर्षों की सेवा सहित या मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष; तथा
		-	(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले — (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री (ii) प्रशासनिक तथा स्थापना मामलों में पाँच वर्षीय अनुभव
			भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं ग्रेंगे।
-			(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी)।
			टीपः— पदोन्नित के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेंड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेंड/वेतनमान सहित एक ग्रेंड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
13.	यदि कोई विमागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?		पदोन्नित एवं स्थायीकरण के लिये ''क'' वर्गीय विभागीय पदोन्नित सिमित जिसमें निम्निलिखित सदस्य हैं:— 1. संघ लोक सेवा आयोग के — अध्यक्ष / सदस्य 2. सदस्य दिल्ली जल बोर्ड (प्रशासिनक) — सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन व कार्मिक) — सदस्य दिल्ली जल बोर्ड
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
			Prafic 210

( एस. एस. राठौर ) विशेष सचिव (शहरी विकास)

# TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV (EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT) 9<sup>TH</sup> LEVEL 'C' WING, DELHI SECRETARIAT I.P.ESTATE, NEW DELHI

No.F.16 (214)/UD/W/2009/ 123

Dated the 14th Feb 2012

# NOTIFICATION

No F.16 (214)/UD/W/2009/... The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) of section 109 read with sections 7 and 51 of The Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. 4 of 1998), regarding the method of Recruitment, promotion and qualification necessary for appointment to the post of Assistant Commissioner(Water)/Assistant. Commissioner (Land &Estate)/ Deputy Director of Revenue (Water) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published as under namely.

# 1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Recruitment Regulations for the post of Assistant Commissioner (Water)/Assistant Commissioner (Land Estate)/Deputy Director of Revenue (Water), Delhi Jal Board, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. <u>Number of posts, classification and scale of pay</u>: The number of posts, their classification and the scale of pay attached to there shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these Regulations.
- 3. <u>Method of recruitment, age limit and other qualifications etc:</u>
  The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.
- 4. Disqualifications: No person:-
- (a) who has entered in to or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

Regular service: "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection, according to the prescribed, for long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such a post.



- 6. <u>Power to Relax :-</u> Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 7. <u>Saving: Nothing in these Regulations shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time in this regard.</u>
- **8**. Repeal Delhi Administration Notification F.9/11/87-LSG/6933dated 12.11.1987 shall stand superseded from the date of issue of this notification.

(S.S.RATHOR)
SPECIAL SECRETARY (WATER)

SCHEDULE-I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT COMMISSIONER(WATER)/ASSISTANT COMMISSIONER (LAND&ESTATE)/ DEPUTY DIRECTOR OF REVENUE(WATER) IN DELHI JAL BAORD.

1. Name of post

Assistant Commissioner(Water)/Assistant

Commissioner(Land &Estate)/Deputy Director of Revenue(Water).

2. No. of post

13(2009) subject to variation

dependent on workload.

3. Classification

Category 'A'

4. Scale of Pay

Pay Band-3 in the scale of Rs.15,600-39,100

With Grade Pay of Rs. 6600/-.

5. Whether selection post or Non selection post

Selection

6. Whether benefit of added years of service admissible

N.A.

7. Age limit for direct recruits.

N.A.

8. Educational and other Qualifications required for direct recruits.

Not applicable

 Whether age and educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. N.A

10. Period of Probation.

2 years for promotees

11.Method of recruitment
Whether by direct recruitment
or by promotion or by
deputation/absorption and
percentage of post to be
filled by various method.

Promotion failing which by deputation.

hun

12. In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.

#### PROMOTION:-

Administrative Officer / Zonal Revenue officer in pay band 2 in the scale of Rs. 9300-34,800 with Grade pay of Rs 4800/- with 6 years regular service in the grade, including service rendered, if any, in the non-functional scale in the pay band-2 of Rs. 9300-34,800/- with grade pay of Rs. 5400/-.

# Note:-

Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they not short of the are requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

Note:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.

#### **DEPUTATION:-**

or

Officers under the Central /State Government/ Union Territories Administrations:-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department

su any

- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band<sub>[lig]</sub> -2 in the scale of pay of Rs. 9300-34,800/- with Grade pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre/department; or
- (iii) With Six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 in the scale of pay of Rs. 9300-34,800 with Grade pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/ department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:-
  - (i) Degree from a recognized University/Institute.
  - (ii) Five years' experience in Administrative and Establishment matters.

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

Note: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006(date from which the revised pay structure based on 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations' of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

13. If a DPC exists, what is its Composition.

# Group 'A' DPC(for considering

Promotion).

1.Chairman/ Member : Chairman

UPSC

2. Member(Admn.), : Member

DJB

3.Director (A&P) DJB, : Member

DJB

14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.

Consultation with UPSC necessary on each occasion

By Order and in the name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi.

(S.S.RATHOR)
SPECIAL SECRETARY(WATER)